राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

क्रमांकः— एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/I/69605/2017 दिनांकः- 30-5-2017

जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
उप/सहायक निदेशक
आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
जिला......समस्त......

विषयः— रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा स्वयं की लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड सुविधा अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराने बाबत्।

सन्दर्भः— निदेशालय का पत्रांक एफ13/1/3/वे.पो./वीएस/डीईएस/2017/ 52501 दिनांक 24.06.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा स्वयं की लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड सुविधा अन्य व्यक्ति यथा ई–मित्र संचालक, कम्प्यूटर ऑपरेटर इत्यादि को उपलब्ध नहीं कराने हेतु पाबन्द किया गया था, परन्तु देखने में आया है कि अभी भी कई रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा स्वयं की लॉगिन आई.डी. एवं पासवर्ड अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराई गई है और इन व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण कार्य में अनियमितताऐं की जा रही है, जो कि कॉफी गम्भीरता का विषय है। उक्त प्रकार का कृत्य रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 7 के अन्तर्गत अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं किया जाना दर्शाता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ कार्यरत समस्त रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) को राजकार्य में उक्त लापरवाही नही दोहराये जाने के सम्बन्ध में पाबन्द करें एवं सम्बन्धित रजिस्ट्रार के विरूद्ध जन्म–मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं राज्य नियम, 2000 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

(ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार(जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— एफ13/1/3/वेबपो/वीएस/डीईएस/2017/69605 दिनांकः- 30-5-2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं जिला कलक्टर, जिला समस्त।
2. अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं विकास अधिकारी, जिला समस्त।
3. ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी एवं नोडल अधिकारी (जन्म–मृत्यु), जिला समस्त।

उप निदेशक (जीवनांक)